

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यवाही पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
67/19	53 RTA	विशाल खेड़ा	दुआडा
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
श्री रमा (बालीलात्म)		बनाम	श्री गी लाल

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

16/7/19

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 RTA आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/19 को पेश हो।

21/8/19

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 24.10.19 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

2 व 5 के
अभिलेख
सम्मान

24/9/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। प्रतिवादी 2 व 5 के वाद तालीम सम्मान प्राप्त। वी व पूरु सुचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तालीम कार्यवाही भी जारी है। प्रतिवादी 2 व 5 को तलबी हेतु तलबी का कार्य पेश करवा करके तलबी पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो।

15/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। प्रतिवादी 2 व 5 को तलबी हेतु सही अर्जे का तलबी/तलबी रजि-म्व पेश करवा करके तलबी पत्रावली दिनांक 18/11/19 को पेश हो।

18/11/19

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 18.11.19 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय उपखण्ड आ. ...
छबड़ा (बारा)

17²³ पत्रावली MRC नेमो के वार पूर्ववत् स्थिति में आज
पेश हुई। वकील प्राप्ती अनुपस्थित। न्यायालय के
तीन वार आज पुनरवाई गई। कोई उपस्थित नहीं
पुनराग रुक हाजिरी रुक परनी खारिज किया जाता है
पत्रावली फ्रेशल मुगा देकर साखिल रफ्तार हो।